

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
करनाराम पुत्र पूनमाराम जाति कुम्हार, निवासी कुमावत नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		कैकूदेवी पत्नी केशराराम जाति कुम्हार, निवासी कुमावत नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (14)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 53, 188)

मुकदमा नम्बर 16/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------

16.01.2025

प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 07.03.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

7.3.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इलवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 4.4.25 को पेश हो।

4/4/2025

पत्रावली पेश, वादी अधिवक्ता उपर।
वादी अधिवक्ता ने भविष्यत करवाया कि
प्रकरण में पत्रकारण के मध्य आपसी सहमति
के राजीनामा लेसाया है, अतः पत्रावली
राजीनामा संकलित कर्ता हेतु रहे 25/2/25
को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

02/03/25

पत्रावली पेश हुई। वादी/अपीलाण्ट बकिल उपर।
पत्रावली में उजाज डीरे पत्रागी उरिबाही नही केते
के कारण पत्रावली पूर्ण आदेशिकानुसार दिनांक 14/03/25
में पेश हो।



तारीख
हुगम

हुगम आ कार्यावाही मग इनिशियल्स जज

आ
हुगम
में जारी

11.5.25

पत्रावली पेश हुग। बीमान पीतासीन अधिकारी
को बीमार होने के कारण इस्तफा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिका अनुसार आर्डिन्स
दिनांक 25.5.25 को पेश हो।

28.5.25

बीमान पीतासीन अधिकारी के
मुख्यालय से बाहर होने से इस्तफा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिका अनुसार
दिनांक 28.5.25 को पेश हो।

12.6.25

पत्रावली पेश। वाकुलाप उपा.
पत्रावली बास्ते राजीनामा व प्रतिवादीगण
की तामिली हेतु दिनांक 25.6.25 को
पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

25.6.25

पत्रावली पेश। वाकुलाप उपस्थित।
पत्रावली बास्ते राजीनामा व प्रतिवादीगण
की तामिली हेतु दिनांक 25.6.25 को
पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

09-07-25

पत्रावली पेश। जर्सी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली से जेती हेतु पत्रकार व वकील को
न्यायालय लग्न से रुक-रुककर आवाजें
दी जाने का कजुद कोई उपस्थित नहीं। अतः
पत्रावली से कोई जमाना जेती नहीं होने तथा
अनुपस्थित रहने पर उक्त काद हली स्ट्रेज
पर अदत हाजरी व अदत फौजी से
खारिज किया जाता है।

पत्रावली डायिलि दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव